उत्तराखण्ड वन विकास निगम

प्रधान कार्यालय - अरण्य विकास भवन, 73 नेहरु रोड, देहरादून

दूरभाष :-0135-2657610, फैक्स :-0135-2655488, ई-मेल: vanvikas12@gmail.com

ई-मेल: uafdcepf@gmail.com, मो0 - 9756604369

पत्रांक -एफ0 - 401 /सी0ए0 ऑडिट/ई0पी0एफ0 ट्रस्ट कोड 25963/2021-22 दिनांक 28 अप्रैल,2022

अल्पकालीन निविदा सूचना एवं शर्ते

(निःशुल्क)

उत्तराखण्ड वन विकास निगम के कर्मचारी अंशदान भविष्य निधि ट्रस्ट के वित्तीय वर्ष 2021-22 के कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा बनाये गये लेखों/आंकड़ो के आधार पर वि0वर्ष 2021-22 का आर्थिक चिट्ठा, आय-व्यय खाता बनाने व ऑडिट करने तथा आयकर रिटर्न दाखिल कर उसकी पैरवी करने हेतु अनुभवी सनदी लेखाकारो (चार्टड एकाउन्टेन्ट)/संस्थाओं जो EPFO अथवा उत्तराखण्ड सरकार के पैनल में हो अथवा कम से कम दस वर्ष का अनुभव रखते हो जिसमें से विगत 5 वर्षो में कम से कम 2 EPF Trust का ऑडिट कर चुके हो, से अल्पकालीन निविदा दिनांक 05.05.2022 को अपरान्ह् 01 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 05.05.2022 को अपरान्ह् 03 बजे गठित समिति के समक्ष खोले जायेंगे।

निर्धारित निविदा प्रपत्र व शर्ते दिनांक 29.4.2022 से 04.05.2022 तक के बीच किसी भी कार्यदिवस में लेखाप्रबन्धक,ई0पी0एफ0 से प्राप्त किये जा सकते है। उक्त निर्धारित निविदा प्रपत्र व शर्ते वन निगम की Website www.uafdc.in पर भी उपलब्ध है।

शर्ते :-

(1) निविदा चार्टेड एकाउन्टेन्ट/फर्म/संस्था को निगमों/कम्पनियों के आर्थिक चिट्ठे बनाने का कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो जिसमें से विगत 5 वर्षो में कम से कम 2 EPF Trust का ऑडिट कर चुके हो।

(2) EPFO के पत्र सं0 HO/IMC/198/APFETF/2015/19996 दिनांक 31.12.2015 के अनुसार Equity & Related Investment का लेखांकन किया जाना।

(3) उपरोक्त सभी कार्यो के लिये धनराशि समस्त करों रहित लिये जाने का उल्लेख करना होगा।

(4) कर निर्धारण वर्ष 2014-15 का TDS एवं ट्रस्ट के पक्ष में जमा समस्त TCS की वापसी हेतु भी कार्यवाही अपेक्षित रहेगी उस कार्य के लिए अलग से भुगतान नही किया जायेगा।

(5) बिल भुगतान में नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी।

(6) सफल निविदादाता को 50 प्रतिशत भुगतान आर्थिक चिट्ठा बनाने,लेखों को सम्प्रेक्षण करने तथा 50 प्रतिशत आयकर रिटर्न दाखिल करने का साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं TCS/TDS की वापसी की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के बाद किया जायेगा।

(7) निविदा प्रपत्र में फर्म/संस्था/चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा अपना पैन/टैन/सर्विस टैक्स नम्बर का उल्लेख करना होगा तथा उसकी प्रति संलग्न करनी होगी।

(8) सफल निविदादाता को 5 प्रतियों में सम्प्रेक्षित आर्थिक चिट्टा/आय-व्यय विवरण/विनियोग विवरण प्रस्तुत करना होगा।

(9) निविदादाता फर्म का पंजीकृत कार्यालय जिला देहरादून के अन्तर्गत अति आवश्यक है।

(10) अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(11) विवाद की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक,उत्तराखण्ड वन विकास निगम का निर्णय अन्तिम होगा।

(12) निविदा फर्म/संस्था/चार्टेड एकाउन्टेन्ट अपने पैड पर ही देनी होगी।

(13) सफल निविदादाता फर्म को उक्त कार्य का कार्यादेश निर्गत होने की तिथि के 30 दिन के अन्दर पूर्ण करना आवश्यक होगा।

(14) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान 1952 में निहित प्रावधानों के अनुसार "The same auditors should not be appointed for two consecutive years and not more than two years in a block of six years" का पालन किया जायेगा।

(15) लिफाफे पर ई0पी0एफ0 ट्रस्ट के आर्थिक चिट्ठा सम्प्रेक्षण हेतु निविदा (Tender For EPF Trust Balance Sheet Audit) का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

(सचिव)
ई0पी0एफ0 ट्रस्ट,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम